कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 03/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 02.01.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं **प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 02.01.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत** कार्यवाहियां की गयी-

प्रेस–विज्ञप्ति

थाना – मेंहनाजपुर, जनपद – आजमगढ़

दिनांक – 02.01.2026

➡ **हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त 24 घण्टे के अन्दर पुलिस मुठभेड में हुआ घायल/गिरफ्तार।**

➡ **घायल अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस बरामद।**

घटना का विवरण:-

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद आजमगढ़ द्वारा वांछित/इनामिया अभियुक्तों एवं वारण्टियों के विरुद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में दिनांक 02.01.2026 को सुबह 10.10 पर थाना मेंहनाजपुर के थाना प्रभारी उ0नि0 मनीष पाल सिंह मय पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में भ्रमणशील थे। इसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 31.12.2025 को थाना क्षेत्र में हुई हत्या की घटना में वांछित अभियुक्त ऊचहुआ से मानिकपुर की ओर जा रहा है। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी द्वारा तत्काल पुलिस टीम के साथ **मानिकपुर मोड़** से 200 मीटर पहले पुलिया के पास घेराबंदी की गई। कुछ समय पश्चात ऊचहुआ की ओर से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया, जिसे पुलिस बल द्वारा रुकने का इशारा किया गया। पुलिस को देखकर अभियुक्त द्वारा भागने का प्रयास किया गया, किन्तु अभियुक्त द्वारा स्वयं को घिरता हुआ देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के **दाहिने पैर** में गोली लग गई। घायल अभियुक्त की पहचान-

घायल/गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. **वरुण यादव उर्फ शेरू यादव पुत्र अवधराज यादव, निवासी ऊचहुआ, थाना चन्दवक, जनपद जौनपुर** के रूप में की गयी, जो थाना क्षेत्र में दिनांक 31.12.2025 को हुई हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त था। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया है।

➡ **फील्ड यूनिट द्वारा मौके पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।**

अभियुक्त के कब्जे से बरामदगी:-

01. एक अदद तमंचा .315 बोर
02. एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर
03. एक अदद खोखा कारतूस .315 बोर

पूछताछ का विवरण:-

घायल/गिरफ्तार अभियुक्त वरूण यादव द्वारा पूछताछ में बताया गया कि रंजिशन मैं अपने भाई अरूण यादव उर्फ वकील यादव पुत्र अवधराज यादव तथा साथी रवि यादव पुत्र स्व0 उदयराज यादव व लालू यादव पुत्र प्यारेलाल यादव समस्त निवासीगण उचहुआ, थाना चन्दवक, जनपद जौनपुर के साथ मिलकर दिनांक 31.12.2025 को

मारूकामाता मंदिर के पास अखिलेश सोनकर पुत्र संतोष सोनकर को मारापीटा और उसे घायल अवस्था में वहीं छोड़कर भाग गये थे, जिसकी बाद में मृत्यु हो गयी थी।

पूर्व की घटना का विवरण:-

दिनांक **31.12.2025** को आवेदक **शुभम सोनकर पुत्र उदयभान सोनकर, निवासी दरियापुर नेवादा, थाना मेंहनाजपुर, जनपद आजमगढ़** द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि मेरे चाचा के लड़के **अखिलेश सोनकर पुत्र संतोष सोनकर, उम्र 24 वर्ष को** कुछ लोगों द्वारा मारूकामाता मंदिर के पास सिर पर डण्डे से प्रहार किया गया, जिससे मेरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में उसकी मृत्यु हो गयी। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0 127/2025 धारा 103(1) बीएनएस** का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

01. मु0अ0सं0 128/25 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना मेंहनाजपुर, जनपद आजमगढ़।

अपराधिक इतिहास का विवरण:-

01. मु0अ0सं0 127/2025 धारा 103(1) बीएनएस, थाना मेंहनाजपुर, जनपद आजमगढ़।
02. मु0अ0सं0 128/25 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना मेंहनाजपुर, जनपद आजमगढ़।

मुठभेड़/गिरफ्तारी में शामिल पुलिस टीम:-

01. उ0नि0 मनीष पाल सिंह थाना प्रभारी मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़।
02. उ0नि0 दीपक कुमार, थाना मेंहनाजपुर, जनपद आजमगढ़।
03. हे0का0 बाबूलाल राजभर , थाना मेंहनाजपुर, जनपद आजमगढ़।
04. हे0का0 पवन कुमार सिंह , थाना मेंहनाजपुर, जनपद आजमगढ़।
05. हे0का0 लालबिहारी यादव , थाना मेंहनाजपुर, जनपद आजमगढ़।
06. हे0का0 शशि कुमार , थाना मेंहनाजपुर, जनपद आजमगढ़।
07. का0 घनश्याम यादव , थाना मेंहनाजपुर, जनपद आजमगढ़।

उत्तर प्रदेश पुलिस